मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 6 अगस्त, 2003 (श्रावण 15, 1925)

समय 10.30 बजे

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2.पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री वीरसिंह रघुवंशी, विधि और विधायी कार्य मंत्री, संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान (पचानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किये जाने से संबंधित लोक सभा एवं राज्य सभा की कार्यवाहियां और उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिये प्राप्त राज्य सभा सचिवालय की सूचना पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री घनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-20 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001तथा उन पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजा पटैरिया,सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री,कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रावदेशराज सिंह यादव, नरेन्द्र सिंह तोमर, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, शिवपुरी जिले के बामौराकला में मकानों को अवैधानिक रूप से तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु पायलट योजना के तहत आवंटित राशि का दुरुपयोग होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे,

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति / स्वीकृति

(1) श्री बृजबिहारी पटैरिया, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे : -

" सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है."

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति का 308 वां से 322 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री पी.सी. शर्मा, सभापति, प्राक्कलन समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री भारत सिंह, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां एवं अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्री पुष्पराज सिंह, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का दसवां एवं ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5.याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ़ नगर के मध्य स्थित शासकीय भवन को व्यवसायिक संस्था को नहीं बेचे जाने,

(2) श्री जोधाराम गुर्जर, सदस्य, भोपाल शहर के राजीव नगर में सड़क बनाये जाने,

(3) श्री जुगुलकिशोर, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम पंचायत रौड़ अन्तर्गत नारायणपुर बस्ती में नाले पर स्टापडेम-कम-काजवे बनाये जाने,

(ख) नगर पंचायत कोठी में आर.सी.सी. सड़क बनाये जाने, तथा

(ग) तहसील नागोद अन्तर्गत नवस्ता-रजवारा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(4) श्री रामदास शिवहरे, सदस्य, खंडवा जिले की खकनार नगर में आई.टी.आई. कक्षा व वर्कशाप प्रारंभ कराये जाने,एवं

(5) श्री कमल पटेल, सदस्य, हरदा जिले की खिरकिया तहसील में माचक उप-नहर का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. वक्तव्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वित्त विभाग के प्रबंधन हेतु लिये गये नीतिगत निर्णय एवं उनके क्रियान्वयन के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री श्रवण कुमार, लोक निर्माण मंत्री, लोक निर्माण विभाग के नीतिगत निर्णयों के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(3) श्री राजा पटैरिया, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित गतिविधियों पर वक्तव्य देंगे.

(4) श्री घनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, लोक सेवा एवं पदों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(5) श्री हजारीलाल रघुवंशी,राजस्व मंत्री,राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं गतिविधियों पर वक्तव्य देंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

30 मि. (1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2003 (क्रमांक 28 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) डॉ. गोविन्द सिंह, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 29 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) श्री वीरसिंह रघुवंशी, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 30 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल
दिनांक : 5 अगस्त, 2003